8.9 **वैयक्तिक वेतन**

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी, हिंदी टाइपिंग व हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

)क) **हिंदी प्राज्ञ परीक्षा**

वैयक्तिक वतन केवल उन्हीं अधिकारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित) कर्मचारियों को दिया जाता है, जिनके लिए प्राज्ञ पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) **प्रवीण**

प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिन के लिए प्रवीण अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है:

(i) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55% या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(ii) राजपत्रित अधिकारियों को 60% या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।